न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

पीठासीन अधिकारी— पीयूष समारिया, IAS
प्रकरण संख्या 02/2026
जीसीएमएस नं0 2026/9

श्री हेमराज महावर, पता—120 महावर बस्ती करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अति0 जिला कलक्टर कोटा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः—28.01.2026

अपील का सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्री हेमराज महावर, पता—120 महावर बस्ती करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा ने दिनांक 29.10.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहां प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई—

1. पी.जी प्रकरण संख्या 133/11 जन सुनवाई प्रा.पत्र द्वारा श्री सदस्य श्री बाबा रामदेव करवाड तहसील पीपल्दा पर जांच व निर्णय के सम्बन्धित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराये ।

प्रार्थी अपीलांट के परिवाद दिनांक 29.10.2025 से चाही गई सूचना नहीं मिलने पर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा से टिप्पणी ली गई । लोक सूचना अधिकारी ने अपनी टिप्पणी पत्रांक/प्रथम अपील/प—219 /2025/28 दिनांक 19.01.2025 से निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन में वांछित सूचना का संबंध सतर्कता अनुभाग से संबंधित होने के कारण प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग को पत्र लिखा गया । सतर्कता अनुभाग के पत्रांक/1425 दिनांक 18.12.2025 के अनुसार आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना श्री सदस्य श्री बाबत रामदेव करवाड तहसील पीपल्दा को जन सुनवाई पी.जी. प्रकरण संख्या 133/11 की कार्यालय में तलाश करवाई गयी प्रकरण कार्यालय में नहीं पाया गया । तत्पश्चात प्रकरण के संबंध में कार्यालय हाजा द्वारा क्रमांक/1397 दिनांक 10.2.2025 से समस्त अनुभागों को एक यू0ओ0 नोट (सर्च मेमों) जारी किया गया । समस्त अनुभागों द्वारा तलाश करने के उपरान्त भी पत्रावली उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया । उक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज कर इसकी सूचना कार्यालय के पत्रांक/572 दिनांक 19.12.2025 से आवेदक को दे दी गई है । चूंकी आवेदक को कार्यालय स्तर पर की गई कार्यवाकी की सूचना उपलब्ध कराने के उपरान्त इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया है । अपीलांट को भी सुनवाई हेतु पत्रांक/रीडर/डीएम/2026/26

जिला कलक्टर
कोटा

दिनांक 12.01.2026 से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया किन्तु प्रार्थी अपीलांट अनुपस्थित है ।

हमने प्रार्थी अपीलांट की अपील का अवलोकन किया । प्रार्थी अपीलांट ने विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एवं जानकारी चाही गई है । लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी अनुसार वांछित पत्रावली सतर्कता अनुभाग की पी.जी. प्रकरण संख्या 133/11 सतर्कता अनुभाग में उपलब्ध नही हो पाने से सूचना नहीं दी गई है । अनुभाग से सर्च नोट भी जारी किया गया है किन्तु कार्यालय एवं अनुभाग में वांछित सूचना नहीं मिल पाने से सूचना दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है । अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा